दिनांक 26 फरवरी, 2018 को अशोक होटल, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय एमएसएमई बोर्ड की 16 वीं बैठक का कार्यवृत

उद्घाटन सत्र:

1. राष्ट्रीय एमएसएमई बोर्ड की 16 वीं बैठक 26 फरवरी 2018 को अशोक होटल, नई दिल्ली में आयोजित की गई।

2. उद्घाटन सत्र माननीय एमएसएमई राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री गिरिराज सिंह, माननीय सांसद श्री प्रदीप टम्टा0और राष्ट्रीय बोर्ड के अन्य सदस्यों के गर्मजोशी से स्वागत के साथ शुरू हुआ।

3. **श्री राम मोहन मिश्रा, अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई)** ने अपने स्वागत भाषण में देश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र के महत्व पर प्रकाश डाला और एमएसएमई इकोसिस्ट ममें सभी हितधारकों द्वारा मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया। उनके द्वारा निम्नलिखित पर जोर दिया गया:

- एमएसएमई इकोसिस्टनम्के सभी हितधारकों के बीच निरंतर संवाद की आवश्यकता है।
- एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **"संचार, आउटरीच और संवाद केंद्र"** की स्थापना की गई है जिसमें भारत के उद्योग संघों, अन्य एमएसएमई क्षेत्र के हितधारकों के लिए पारस्परिक रूप से लाभप्रद कार्यों में सहयोग करने और आगे बढ़ने के उभरते अवसर हैं। चैम्बपर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीप एसोसिएशन इस केंद्र में कार्यकारी समूहों का हिस्सा बनने के लिए अपने संगठन में संसाधन संपन्न व्यक्तियों को नामांकित करने पर विचार कर सकते हैं।

4. इस अवसर पर संबोधित करते हुए, **डॉ. अरुण कुमार पांडा, सचिव, एमएसएमई मंत्रालय** ने एमएसएमई क्षेत्र को दिए गए विशेष महत्व का जिक्र किया। उन्होंने सभा को मंत्रालय की क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीटीएमएसई) को और अधिक मांग आधारित बनाने के लिए किए गए परिवर्तनों के बारे में जानकारी दी और साथ ही सार्वजनिक खरीद नीति ढांचे के तहत विशेष रूप से "एमएसएमई-सम्बन्ध" और "एमएसएमई-समाधान" पोर्टलों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के माध्यम से किए गए प्रगति के विवरण को शेयर किया है । अपने संबोधन में, सचिव एमएसएमई ने निम्नलिखित का भी उल्लेकखकिया:

i. एससी -एसटी हब और संबंधित मुद्दों के तहत पहल:

- सम्मेलन जहां अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति उद्यमियों, बैंकरों, सीपीएसई और अन्य हितधारकों को सहयोग और भागीदारी के लिए रास्तेयखोजने और परस्प र संवाद करने का अवसर मिल सके। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रतिभागियों की निर्देशिका बनाए रखने से हम आगे पारस्पउरिक सहयोग औरसुविधा देना सुनिश्चित कर सकने में सक्षम हो सकेंगे।

- यह पता लगाने की आवयश्कटता है कि सीपीएसई द्वारा संचालित निविदा प्रक्रिया में अनु.जा. - अनु. ज.जा. उद्यमियों के प्रवेश में कोई बाधाएं तो नहीं हैं तथा इससे संबंधित मुद्दों को हल करने के प्रयास किए जाएं।

ii. खादी क्षेत्र:

- उन्होंने खादी क्षेत्र में कारीगरों की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने और मूल्यवर्धन के लिए नए उपाय करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके लिए, खादी की बाजार तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए विशेष खादी कॉर्नर स्थापित किए जा सकते हैं।
- कारीगरों को धनराशि का प्रवाह ऑनलाइन कर दिया गया है और अधिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए उनके बैंक खाते सीधे आधार संख्या से जोड़ दिए गए हैं।
- उन्हों्ने सूचित किया कि मुंबई में अपनी विपणन प्रणाली में खादी कॉर्नर को शुरु करने और बढ़ावा देने के लिए पेंटालून, बिग बाजार इत्यादि जैसी खुदरा श्रृंखलाओं (रिटेल चेन) के साथ बैठक हुई है। यह पूरे देश में खादी उत्पादों के लिए बाजार तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए सीधे फायदेमंद होगा ।

iii. एमएसई को जीईएम पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है जिससे उन्हें बाजार तक पहुंच के नए अवसर मिलेंगे।

iv. एमएसएमई पखवाड़ा, एक पखवाड़े लंबी पहल / अभियान का आयोजन, जिसका उद्देश्य एमएसएम के संवर्धन और विकास के संबंध में मौजूदा और उभरते अवसरों के बारे में जागरूकता उत्प न्न्करना है।

5. सचिव एमएसएमई ने नीति आयोग द्वारा चिन्हिंत 115 सबसे पिछड़े / आकांक्षी जिलों का उल्लेसख करते हुए बताया कि एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार ने पहले से ही नोडल अधिकारियों को नामित किया है जो विभिन्न योजनाओं, नीतियों के कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन करने के लिए आकांक्षी जिलों का दौरा करेंगे और एमएसएमई से संबंधित ऋण के प्रवाह तथा अन्य मुद्दोंके बारे में फीडबैक प्राप्त करेंगे।

6. तत्प श्चानत सभा को **श्री गिरिराज सिंह, माननीय एमएसएमई राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार** द्वारा संबोधित किया गया । उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कृषि और उद्योग भारत में विकास की प्रक्रिया को प्रेरित करने वाले दो महत्वंपूर्ण क्षेत्र हैं। उन्होंननेएमएसएमई की क्षमता में वृद्धि की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी । उन्होंने इंगित किया कि एक साझा मंच पर विचारों और सुझावों के उचित आदान-प्रदान को सुनिश्चित करने के लिए एनबीएमएसएमई की ऐसी नियमित बैठकों का आयोजन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। माननीय मंत्री जी ने सौर चरखा, बायो-कंपोस्ट जैसी श्रम गहन तकनीकों और विकेंद्रीकृत और श्रम गहन उत्पाएदन के अन्यज तरीकोंको बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकें।

7. माननीय मंत्री जी ने आगे संबोधित करते हुए सभा को एमएसएमई की परिभाषा में परिवर्तन पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बारे में बताया। नई परिभाषा के अनुसार जो कि जीएसटी के लिए रिपोर्ट किए गए टर्नओवर पर आधारित है , सूक्ष्मा, लघु और मध्याम इकाइयों को अब 5 करोड़ रुपये, 75 करोड़ रूपए और 250 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर के अनुसार पुन: परिभाषित किया गया है। उन्हों□ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के सक्षम नेतृत्व में भारत , बिजनेस करने में आसानी के वैश्विक इंडेक्सन में 142 वें स्थान से 100 वें स्था न पर आ गया है। उन्हों◌ेने यूएएम पंजीकरण प्रणाली एमएसएमई समाधान, एमएसएमई संबंध आदि जैसी पहलों की सहायता से बिजनेस करने में आसानी को बढ़ावा देने में सूक्ष्मम, लघु और मध्य म उद्यमों के योगदान का उल्लेजख किया।

8. माननीय मंत्री जी निम्न लिखित पर भी बल दिया :

i. मंत्रालय का एमएसई-सीडीपी कार्यक्रम

ii. औषधीय पौधों जैसे सिट्रोनेल्ला, लेमन ग्रास आदि के विकास को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई मंत्रालय के तहत सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र (एफ़एफ़डीसी) एवं सीएसआईआर विभाग के तहत केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों के संस्थान (सीआईएमएपी) की सहयोगी परियोजना।

iii. मौजूदा 18 प्रौद्योगिकी केंद्रों के अलावा , विश्व बैंक के सहयोग से 15 अतिरिक्त प्रौद्योगिकी केन्द्रों के निर्माण के जारी प्रयास ।

iv. महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान (एमजीआईआरआई) द्वारा शुरू की गई विशेष परियोजना जिसका उददेश्यण मानव बाल को अमीनो एसिड में बदलना है , जो कि प्लांपट ग्रोथ प्रोमोटर के रूप में कार्य करेगा।

9. समापन करते हुए, माननीय मंत्री महोदय ने सभी एमएसएमई हितधारकों को एमएसएमई क्षेत्र के लिए इष्ट परिणामों को प्राप्त करने के लिए समन्वित तरीके से मिलकर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया और सभी बोर्ड सदस्यों के सुझावों और विचारों का स्वागत किया ताकि आगे की योजना बनाई जा सके।

10. बीएमएस के राष्ट्रीय सचिव ने माननीय मंत्री महोदय के प्रयासों और पहल की सराहना की और यह सुझाव दिया कि एनबीएमएसएमई की एक बैठक माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित कराई जाए।

<u>तकनीकी सत्र :</u>

11. **श्री बी. एच. अनिल कुमार** , **संयुक्त सचिव (एआरआई)** , **एमएसएमई मंत्रालय** ने विस्तृत पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाया कि कैसे एमएसएमई मंत्रालय देश में एमएसएमएमई क्षेत्र के विकास और संवर्धन के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं और पह लों को कार्यान्वित कर रहा है जैसे (**i**) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्की म, (**ii)** टीसीएसपी (**iii)** सूक्ष्म औए लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई -सीडीपी) (**iv)** अनु.जा.-अनु.ज.जा. हब (**v**) एमएसएमई-संबंध (**vi)** कयर उद्यमी योजना (**vii)** सौर चरखा मिशन (**viii)** केवीआईसी अम्ब्रेला के अंतर्गत खादी कॉर्नर। उन्होने विस्तार से (**i)** एमएसएमई समाधान (**ii)** वीडीपी और ईडीपी राज्य स्तरीय कांक्लेव (**iii)** जेम पोर्टल (**iv)** एमएसएमई पखवाड़ा (**v)** एमएसएमई संबंध पर भी प्रकाश डाला।

12. प्रस्तुति के बाद, बोर्ड के सदस्यों द्वारा निम्न सुझाव/ विचार दिये गए:-

i. **श्री प्रदीप टम्टा, माननीय संसद सदस्य (राज्य सभा)** ने उद्योगों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए नई प्रौद्योगिकी को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होने यह भी कहा कि सार्वजनिक खरीद के लिए पृथक लक्ष्य की इच्छा रखने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए , साझेदारी और मालिकाना फ़र्मों को अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमियों के फोरम में लाने की जरूरत है।

ii. **श्री सी. पी. राधाकृष्णन , अध्यक्ष, कयर बोर्ड** , ने यह सुझाव दिया कि क्रेडिट मुद्दों के संबंध में एक समाधान योजना होनी चाहिए।

iii. **श्रीमती सुषमा मोरथानिया , महानिदेशक , इंडिया एसएमई फोरम** , ने एमएसएमई के विपणन प्रयासों के लिए बजटीय समर्थन की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

(iv) **श्री आर.एस.जोशी, पूर्व अध्य क्ष एफआईएनईआर** ने एमएसएमई के लिए अलग से एक कंपनी-अधिनियम की आवश्यटकता पर जोर दिया । एमएसएमई की टर्न-ओवर आधारित हाल की

परिभाषा की अवधारणा का संदर्भ देते हुए उन्हों ने कहा कि सार्वजनिक खरीद नीति एवं अन्यत प्रोत्साकहन ढांचे के तहत सूक्ष्मलघु और मध्यखम उद्यमों के लिए लाभ के विशिष्ट सीमांकन की आवश्क्ता है। उन्होंकने यह भी सुझाव दिया कि राज्य सरकारों के सहयोग से एमएसएमई के लिए सस्ती औद्योगिक-शेडों का प्रावधान होना चाहिए ।

(v) **सुश्री अंजु बजाज, पीएचडी चैंबर, एसएमई प्रमुख** ने एमएसएमई के विकास एवं संवर्धन के लिए एमएसएमई मंत्रालय की पहलों की सराहना की और राष्ट्री य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब योजना के तहत और अधिक महिलाओं को प्रोत्सारहन देने का सुझाव दिया । उन्हों ने उद्यमियों के लिए स्वाकस्य्र बीमा एवं पेंशन योजनाओं को आरंभ करने की आवश्यक्कता विभिन्नह सरकारी कार्यक्रमों में खादी उत्पा्दों को भेंट स्वजरूप देने और देशभर में बैंक/डीआईसी द्वारा एमएसएमई की योजनाओं को प्रदर्शित करने पर भी जोर दिया ।

(vi) **श्री एम.पी. रायकर, अध्य क्ष एसोचैम** ने स्टा र्ट-अप के माध्यईम से प्रौद्योगिकी उन्नसयन के लिए प्रभावी सहयोग तथा हैंड-होल्डिं ग एवं सुविधा सहयोग के लिए समर्पित टीम के साथ सुविधा केंद्रों को खोलने की सिफारिश की ।

(vii) **श्री वी.सुंदरम, अध्यडक्ष कोडेसिया** ने जोर दिया कि:

- एमएसएमई की आवश्यदकताओं पर विशेष रूप से ध्याि न देने के लिए स्मॉ:ल फैक्टकरीज एक्टए अधिनियमित किया जाना चाहिए ।
- उन्होंईने कारखाने में 50 % कामगारों के लिए तीन वर्ष का अनिवार्य अप्रेंटिसशिप का प्रावधान करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ एमएसएमई मंत्रालय को बातचीत करने का अनुरोध किया।

(viii) **श्री श्रीकांत सोमानी , अध्य क्ष सीआईआई** ने कहा कि पूरे भारतवर्ष में शिल्पी क्षेत्र में कारीगरों के मुद्दों पर खादी एवं ग्रामोद्योग के अलावा एमएसमई मंत्रालय को भी विचार करना चाहिए ।

(ix) **श्री संजय भाटिया, अध्याक्ष फिक्कीमने** मध्याम उद्यमों पर तथा जीएसटी के आरंभ होने के बाद एमएसएमई द्वारा 'एक्स पोर्टरिफंड' न मिलने की समस्या ओं पर विशेष ध्याटन देने का अनुरोध किया ।

(x) **श्री अनिल गुप्ता, आईआईए** ने सुझाव दिया कि:

- विपणन विकास सहायता योजना की तर्ज पर प्रौद्योगिकी विकास सहायता योजना (टीडीएएस) तैयार करना ।

- एमएसएमई की भुगतानों/लेन-देन में विलंब की विभिन्नन अवस्थाएओं की जॉच की जाए तथा उन्हेंई खत्मत किया जाना जाए । उदाहरणार्थ चैक बांउस होना अपराध घोषित कर दिया गया है परंतु इस प्रक्रिया के तहत उपचारी कार्रवाई प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल करने की आवश्य कता है ।

(xi) **श्री टी.एस.उमाशंकर, महासचिव केएएसएसआईए ने अनुरोध किया कि :**

- जॉब वर्क में 18 % के जी.एस.टी. दर को कम करना ।
- यदि राष्ट्री□य नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण में ऑकड़े समय पर नहीं दिए जाते हो तो संबंधित एजेंसी के साथ दंडों से छूट के मामले को उठाना ।

(xii) **सुश्री सोनाली सेन गुप्तास मुख्या महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक** ने स्पनष्टन करते हुए बताया कि हाल ही में घोषित मौद्रिक नीति में प्राथमिकता क्षेत्र के तहत वर्गीकरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक सूक्ष्मम/लघु और मध्यतम उद्यमों के लिए प्रति ऋण प्राप्तजकर्ता क्रमश: 5 करोड़ रुपये और 10 करोड़ रुपये के वर्तमान अनुमत्य् ऋण सीमा को समाप्तर करने का फैसला लिया था । भारतीय रिजर्व बैंक के 1 मार्च 2018 के परिपत्र के अनुसार सूक्ष्म उद्यमों को बैंक ऋण के लिए 7.50 प्रतिशत का उप-लक्ष्यय भी 20 और उससे अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंकों के लिए वित्ती वर्ष 2018-19 से लागू हो जाएगा। इन उपायों से एमएसएमई के ऋण प्रवाह में वृद्धि होगी ।

(xiii) **श्री के.बी.शेखर राजू, अध्य क्ष एफएएसआईआई** ने लड़के और लड़कियों को साइकिलों के वितरण की योजना के तहत राज्यत सरकारों द्वारा साइकिलों की खरीद के मुद्दे को उठाया और बताया कि इसकी खरीद के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के प्रावधानों का पालन नहीं किया जाता है।

(xiv) **श्री के.पी.एस. केशरी, अध्याक्ष बिहार इंडस्ट्री◌े एसोसिएशन (बीआईए)**ने कहा कि :

- विपणन सहायता और प्रौद्योगिकी उन्नखयन से संबंधित मुद्दे जिसमें उन्होंयने एम.ए.टी.यू. योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीयय व्यानपार मेलों में भागीदारी के लिए विदेश यात्रा के संबंध में भुगतान/सब्सिड्डी की प्रतिपूर्ति में विलंब और अन्या सब्सि डी के मुद्दे को उठाया ।
- उन्होंहने दिवालियापन के मुद्दे को भी उठाया और कहा कि 7वें वेतन आयोग के अनुसार श्रमिकों की न्यूहनतम मजदूरी से एमएसएमई अप्रतिस्प र्धी हो जाएगें।

(xv) **श्री पूरन डावर, डावर फुटवियर इंडस्ट्रीाज**ने सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे को उठाया और कुल आयकर के 10 % को सामाजिक सुरक्षा उपायों के लिए उपयोग किये जाने का प्रावधान करने का अनुरोध किया ।

(xvi) **श्री टी. मुरलीधरण, अध्य क्ष टीएमआई ग्रुप** ने सभा को सूचित किया कि उनके समूह द्वारा रोजगार सृजन के लिए सुझाव दिए गए हैं और उन पर विचार किया जाए ।

(xvii) **श्री मिलिंद कांबले, अध्याक्ष डीआईसीसीआई** ने कहा कि :

- सीएलसीएसएस का उचित ढंग से प्रचालन नहीं हो रहा है और योजना के कार्यान्वआयन को सुव्यसवस्थि त करने की जरुरत है ।
- अनु.जा/अनु.जजा हब को स्टैंीड-अप इंडिया स्कीाम का लाभ उठाना चाहिए ।

(xviii) **श्रीमती मंजुला मिश्रा, विशेष आमंत्रिती** ने सुझाव दिया कि एमएसई के लिए उपलब्ध पीपीपी के तहत 20 % खरीद के लक्ष्य् को नई नीति में महिला वर्ग के लिए भी शामिल करना चाहिए ।

xix. **श्री सुनील रामा, विशेष आमंत्रिती** ने सरकारी खरीद के ई-टेंडरींग की प्रक्रिया और बयाना राशि के भुगतान का जिक्र करते हुए ये उल्लेख किया कि यद्यपि एमएसएमई को बयाना राशि के प्रावधान से छूट मिली है, लेकिन उत्तर प्रदेश के विभिन्न टेंडर प्रक्रियाओं में एमएसएमई को यह छूट नहीं दी गई है।

xx. **श्री संजय डालमिया, बिहार महिला उद्यमी संघ के प्रतिनिधि** ने ये उल्लेख किया कि:-

- विलंबित भुगतान पर ब्याज की वसूली के मामले का अध्यघयन करने हेतु सचिव (एमएसएमई) की अध्यक्षता में एक समिति के गठन की आवश्यकता है।
- बैंकिंग प्रणाली से ऋण प्राप्त करने / क्रेडिट प्रस्ताव की जटिल प्रक्रिया के मुद्दे और सिस्टम के सुचारु संचालन सुनिश्चितत करने के लिए डीआईसी को शामिल होने के लिए अनुरोध किया।

xxi. **डॉक्टर अजय नारंग, विशेष आमंत्रिती** ने सुझाव दिया कि:-

- एक ऐसे प्रभावी उपाय की आवश्यकता है जो यह सुनिश्चित करे कि सार्वजनिक खरीद नीति के तहत लाभ की संरचना से और वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता से सूक्ष्म उद्यम वंचित न रह जाए।

xxii **श्री रजनीश गोयनका, विशेष आमंत्रिती** का सुझाव था कि:-

- विद्यालयों और महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में उद्यमिता विकास को एक अतिरिक्त विषय के रूप में शामिल किया जाए।
- एमएसएमई स्टेकहोल्डरों में योजनाओं के बारे में सूचना के प्रचार-प्रसार के लिए एमएसएमई मंत्रालय के तहत एमएसएमई टीवी चैनल की शुरुआत की जाए।

xxiii. **सुश्री रेहाना रजियावाला, एसईडबल्यूए**, ने यह माँग की, कि:-

- एमएसएमई के उत्पादों की जीएसटी दरें कम कर देने से संबंधित मुद्दे।
- देश में ग्रासरूट लेवल पर उद्यमिता का विकास किया जाए और इसकी शुरुआत ग्रामीण स्तर से की जाए।

xxiv. **श्री दिनेश राय, विशेष आमंत्रिती** ने यह उल्लैख किया कि:-

- एमएसएमई गतिविधियों के बेहतर कार्यान्वयन और प्रसार के लिए राज्य सरकारों के डीआईसी को अधिक शक्तिशाली बनाने का मामला।
- कौशल विकास मंत्रालय के कौशल विकास योजनाओं से एमएसएमई सेक्टर के लाभ को सुनिश्चित करने के लिए उन योजनाओं से लाभ उठाना चाहिए।

xxv. **श्री राजा एम. षणमुगम ,** अध्य क्ष तिरुपुर एक्स पोटर्स एसोशिएसन (टीईए) ने उल्लेनख किया कि:-

- एमएसई-सीडीपी के तहत तिरुपुर एमएसएमई क्लणस्ट,र के लिए स्की्मों के बेहतर कार्यान्व यन की आवश्यतकता है।
- बेसल नॉर्म्सव की समीक्षा की जाए। इसे या तो भारतीय संदर्भ में तैयार किया जाए या फिर पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए।

xxvi श्री जायमिन वासा, उपाध्य क्ष गुजरात चैम्बभर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (जीसीसीआई) ने लघु एवं मध्य म उद्यमों के लिए मुद्रा जैसी योजना लाने एनआईसी कोड के बजाय एचएस कोड (जीएसटी के तहत) का उपयोग करने और प्रौद्योगिकी अधिग्रहण कोष बनाने का सुझाव दिया।

xxvii पश्चि म बंगाल उद्योग संघ ने एमएसएमई क्षेत्र के संबंध में पर्यावरण प्रभाव विश्ले षण (इंवायरमेंट इम्पैक्ट एनालिसिस) के अध्यधयन की आवश्य कता का उल्लेिख किया।
xxviii श्री जितेंद्र गुप्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष लघु उद्योग भारती (एलयूबी) ने इस बात का उल्लेमख किया कि एमएसएमई की परिभाषा में परिवर्तन कुछ दिन पहले मंत्रालय द्वारा गठित एक सदस्यीिय समिति की सिफारिशों के अनुरूप नहीं है।

xxix सुश्री ममता वर्मा, उद्योग आयुक्त, गुजरात सरकार ने निम्ने बातों की आवश्य कता पर बल दिया:-

- राज्यु सरकारों और एमएसएमई मंत्रालय की योजनाओं के बीच तालमेल स्थाकपित करना ताकि एमएसएमई इन योजनाओं से और अधिक समग्र तरीके से लाभ उठा सके।
- संभावित एमएसएमई इकाइयों द्वारा प्राप्तर की जाने वाली अनापत्तिसयों की संख्याि को कम करना। एमएसएमई द्वारा अपेक्षित भिन्ना-भिन्न प्रकार की अनापत्ति यों को समाप्ता करने के लिए क्षेत्रवार अध्यतयन संचालित करने की आवश्यककता है।
- भिन्नए-भिन्ने राज्यों की श्रेष्ठी पद्धतियों से सीख लेना और भारत सरकार के स्ततर पर ज्ञान का एक साझा मंच बनाना जिसमें विभिन्न राज्यश सरकारों के अधिकारीगण अपने समकक्ष से जानकारी प्राप्त करने के लिए संवाद कर सके।
- भिन्न -भिन्नन राज्यों में बनाए जा रहे उत्पा दों के आंकड़ों के लिए राष्ट्री□य स्त र पर भी एक पोर्टल बनाया जाए, इससे बड़े पैमाने पर आयात को समाप्त करने में भी मदद मिलेगी।

13. बैठक अध्यइक्ष महोदय के धन्योवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

******

राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम बोर्ड की दिनांक 26.02.2018 को अशोक होटल, नई दिल्ली में आयोजित 16वीं बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची

(क) राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम बोर्ड के सदस्य

1 श्री गिरिराज सिंह, माननीय राज्यम मंत्री (स्वमतंत्र प्रभार) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
2 श्री प्रदीप टम्टा, संसद सदस्यम (राज्यम सभा)
3 डा. अरुण कुमार पांडा, सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
4 श्री राम मोहन मिश्र, अपर सचिव एवं विकास आयुक्त, एमएसएमई
5 श्री ए.के. मिश्रा, निदेशक, वित्ता मंत्रालय
6 श्री रमाकांत सिंह, उद्योग निदेशालय, झारखंड
7 सुश्री ममता वर्मा, उद्योग आयुक्ति, गुजरात
8 श्री एच.डी. श्रीमाली, अपर उद्योग आयुक्त, गुजरात
9 श्री एस. सरवनावेल, मुख्यि महाप्रबंधक, नाबार्ड
10 श्री संजय गोयल, मुख्य् प्रबंधक, सिडबी
11 सुश्री सोनाली सेन गुप्ता, मुख्यर महाप्रबंधक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
12 सुश्री रेहाना रजावत, अध्ययक्ष, एसईडब्यूप्रबए
13 श्री सी. बाबू, अध्यक्ष, टीएएनएसटीआईए
14 श्री आर. हनुमंते गौड़ा, अध्यटक्ष, केएएसएसआईए
15 श्री टी.एस. उमाशंकर, मानद महासचिव, केएएसएसआईए
16 श्री वी. सुन्द रम, अध्यमक्ष, सीओडीआईएसएसआईए
17 श्री जितेन्द्र गुप्त, राष्ट्रीय अध्यवक्ष, लघु उद्योग भारती
18 सुश्री सुषमा एम., महानिदेशक, इंडिया एसएमई फोरम
19 श्री आर.एस. जोशी, पूर्व अध्य क्ष, एफआईएनईआर
20 श्री संजय भाटिया, अध्यजक्ष, फिक्कीम
21 श्री हेमंत सेठ, निदेशक, फिक्की
22 सुश्री अंजू बजाज, अध्यक्ष, पीएचडीसीसीआई
23 सुश्री कंचन जुत्शी, सचिव, पीएचडीसीसीआई
24 डॉ एच. पी. कुमार, सलाहकार, पीएचडीसीसीआई
25 श्री श्रीकांत सोमानी, सीएमडी, सीआईआई
26 सुश्री अर्चना सिन्हा, सीआईआई
27 श्री सुदर्शन सरीन, राष्ट्रीय अध्यआक्ष, अखिल भारतीय लघु और मध्यम उद्योग संघ
28 श्री बैज नाथ राय, पूर्व राष्ट्रीय अध्यआक्ष, बीएमएस

29 श्री टी. मुरलीधरन, अध्यक्ष, टीएमआई ग्रुप
30 श्री पूरन डावर, अध्यक्ष, डावर फुटवियर इंडस्ट्री□ज
31 श्री अनिल भारद्वाज, महासचिव, एफआईएसएमई
32 श्री पंकज बंसल, एफआईएसएमई
33 श्री आर. पी. सिंह, उप निदेशक, एफआईएसएमई
34 श्री के. वी. शेखर राजू, अध्यक्ष, एफएएसआईआई
35 श्री मांगुईरिश पाई रैकर, अध्यक्ष, एमएसएमई काउंसिल, एसोचैम

(ख) विशेष आमंत्रितगण

1 श्री सी पी राधाकृष्णन, पूर्व सांसद, अध्यक्ष, कॅयर बोर्ड
2 श्री जायमीन वासा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
3 श्री हरिदास के.वी., उप प्रबंध निदेशक, कॉर्पोरेट सेंटर
4 सुश्री प्रीता वर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केवीआईसी
5 श्री ए के मित्तल
6 श्री सोमेश चौधरी, प्रबंध निदेशक
7 डॉ अविनाश के दलाल, राष्ट्रीय अध्यिक्ष एआईएमएएमएसएमई
8 श्री शशिकांत शर्मा, अध्यक्ष, अखिल भारतीय एलपीजी संघ
9 श्री राजा एम. षनमुगम, अध्यक्ष, तिरुपुर एक्समपोर्टर्सएसोसिएशन
10 श्री दिनेश राय, पूर्व सचिव, एमएसएमई, एआईएम
11 श्री रजनीश गोयनका, अध्यअक्षएमएसएमई विकास फोरम
12 श्री संजय डालमिया, बिहार महिला उद्यमी संघ
13 सुश्री मंजुला मिश्रा, एमडी, सिक्यो रिटी लेबल्स पी. लिमिटेड
14 डा. संजीव चतुर्वेदी, एनआईएमएसएमई
15 श्री मिथिलेश अग्रवाल
16 श्री के.पी.एस. केशरी, अध्येक्ष, बिहार उद्योग संघ
17 श्री अजय माथुर, महा सचिव, एमएसएमई विकास फोरम
18 सुश्री नताशा, कोआपरेशन हैड, ग्लोरबल फ्रेगरेंस प्रा. लि.
19 श्री सुनील रामा, रामा एनएफपीएलबीएसआर
20 डा. अजय नारंग, उपाध्यमक्षलघु उद्योग भारती
21 श्री संतोष डालमिया
22 श्री गौतम रे, उपाध्याक्ष एफओएसएमआई
23 श्री अनिल गुप्तां, आईआईए, (भारतीय उद्योग संघ)

(ग) अन्यअ

1 श्री के.के. शर्मा, महाप्रबंधक, एनएसआईसी लि.
2 श्री वी. रघुनाथ, प्रबंधक, एनएसआईसी लि.
3 श्री उमेश दीक्षित, उप महाप्रबंधक, एनएसआईसी
4 श्री ए.के. मित्ताल, निदेशक, एनएसआईसी
5 एआरआई प्रभाग, एसएमई प्रभाग और विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय़ सूक्ष्मय़ लघु और मध्मीय उद्यम मंत्रालय के अधिकारी ।

****